

32



भारत
STAMP DUTY
00000
RS. 0000100
WELFARE STAMPS
INDIA
375296
प्रकृष्ट 26
(नियम 4क देखिए)
BIHAR
1471 85746637

No. 6887 Date 24.3.



29 - (लालन्दा)

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) श्रीकाशीमा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
माग-क

Dilip Kumar

NOTARY

Hilsa (Nalanda) Bihar

मैं लालन्दा (स्थान) **पुत्र/पुत्री/पत्नी/जीति - प्रभाद्वादु
आयु 38 वर्ष, जो ग्राम - रामपुरीकुमारी, पो. ० - रामपुरीरामार्य
शाना - रामपुरीरामार्य, १५०८० - लालन्दा, १५०८० - ८०१३०।
विवेद (डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-
(1) मैं लालन्दा (स्थान) (**राजनीतिक छल का नाम) का सदस्य
किसा मसा अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रही हूँ।


(**जो लागू न हो उसे काट दे)

- (2) मेरा नाम १७४ - इस्लामपुर विधानसभा, १५८८ (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ७४ के क्रम सं ४०२ पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ८५४१०४९९३५ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई है तो) १५८८ है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वेतीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
शून्य	लालन्दा लेला	लालन्दा लेला		

Certified that Sri ... Lala Singh
who has identified by Sri J.S.R. M. Singh
Advocate has affirmation S.A before
me the facts stated in the Affidavit.

20/8/14
NOTARY
Hilsa (Nalanda)
Authorised U/S 8 (1)(b)
of the Notary Act



(5)

1.	स्वयं	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता
2.	पति या पत्नी	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता
3.	आश्रित-1	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता
4.	आश्रित-2	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता
5.	आश्रित-3	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता	जागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं। जागू नहीं होता।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जनकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नालिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।



(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	जागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षेप विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	जागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	जागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	जागू नहीं होता
(ङ.)	तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	जागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	जागू नहीं होता

	है/हैं	लागू नहीं होता।
--	--------	-----------------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लिखित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
(पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता।
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं होता।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए काइल की गई अपील (अपीलों)/ आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं होता।

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :**लागू नहीं होता।**



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा: **लागू नहीं होता।**

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता।
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता।

(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तिः	लागू नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्थेटीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1 पुत्री	आश्रित - 2 पुत्र	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	3000/-	5000/-	3000/-	1300/-	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	43,000/- भेदभाव खिलार भासींग बैंक एकांडारसराय बचत बैंक	6-8-13-80,000 7-10-11-91,467 भासींग बैंक एकांडारसराय बचत बैंक	24-9-11-2,00,000 भासींग बैंक एकांडारसराय बचत बैंक 53,600/- 6-13-14 खिलार	लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेचरों/शेयरों तथा यूनिटों	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

	में विनिधान के ब्यौरे और रकम	लागू नहीं होता				
--	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	6-9-13-20,000 रुपयों के साथ डाकघर 2007-50,000/- खाते की शीर्षकों में दी गई।	28-8-05-1,08,000 9-4-06-20,000 25-9-10-30,000 11-8-11-25,000 27-8-11-20,000 3-9-11-10,000 22-4-13-65,000 21-9-13-10,000 25-9-12-20,000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोता (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार भूमि 30,000/- और मूल्य के ब्यौरे)	10 भूमि भूमि 30,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1,46,000/-	7,08,067/-	3000/-	1300/-	भूमि

आप स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याएँ	लागू नहीं होता	राजना 20-240 पर्याय 1176-428 पर्याय 1158-5 पर्याय 695-428 राजना 228 पर्याय 720-428	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं होता	0.54 एकड़	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति	लागू नहीं होता	हाँ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) (अवस्थितिया) संख्यांक (संख्याएँ)	अवस्थिति सर्वेक्षण	लागूनही होता	धनांस-119 रा० सं० - 657	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागूनही होता	1330 वर्ग फुट	लागू नहीं होता	लागूनही होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्भित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	840 वर्ग फुट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	लागू नहीं होता	हाँ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागूनहीं होता	11,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागूनहीं होता	स्वतंत्र	लागू नहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	लागूनहीं होता	14,72,000/-	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता

(8) में लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पूर्वोक्त वर्णन दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागूनहीं होता	पिछड़ा राज्य निवासनगर, राजकीय 50000/- ०२०८१२८६८६	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्ववालों का कुल योग	लागूनहीं होता	50,000/-	लागूनहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	आय-कर शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	धनकर शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	सेवाकर शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	नगरपालिका / संस्पति कर शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	विक्रयकर शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
	कोई अन्य शोध्य	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुन्हे	14,000/-	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लिखित है का वर्णन करें।	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे	शुन्हे



(क) स्वयं गुणी

(ख) पति या पत्नी राजस्व अर्थात्, आचल - लक्ष्मणपुर, कोटेश्वर

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

प्रथम - १९८६-८० ई० ए० वी० कल्याणी, सुनाका, ओडिशा, २०२२-१९८८-८० सी० ए० नारीदालंग, ओडिशा
स्नोत्रां - १९९१- ई० ए० ए० महाविद्यालय, लक्ष्मणपुर विश्वविद्यालय, स्नोत्रां - १९९३-८० विश्वविद्यालय, ओडिशा

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमार लला सिंह		
2	डाक का पता	ब्राज - सुषुप्तिलिङ्गहाट, वै.०-२५ कंगारसाराम जाना - कलानार सर्वांग, निजमा - नालंदा। पिन - ४०१३०१, बिहार		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	२१ - नारायणनगर लोकासभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार		
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लाभू नहीं होता		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लाभू नहीं होता		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लाभू नहीं होता		
	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	लाभू नहीं होता	लाभू नहीं होता	लाभू नहीं होता
	(ख) पति या पत्नी	लाभू नहीं होता	लाभू नहीं होता	लाभू नहीं होता
	(ग) आश्रित	लाभू नहीं होता	लाभू नहीं होता	लाभू नहीं होता
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रूपये में)			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	1,46,000/-	7,08,067	3000/-
				1300/-
				लाभू नहीं



ख	स्थावर आस्तियां					
I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	लागू नहीं होता।				
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं होता।				
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू नहीं होता।				
9	दायित्व					
10	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं होता।	14,000/-	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं होता।	50,000/-	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं होता।				
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं होता।				
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : भैट्टी - 1986 - ५० ली० १० ली० ३० ली० उत्तर प्रियालय, झुन्नाबेड़ा ओडिशा झन्दरगढ़ - 1988 - ५० ली० ४० ४० ३० अंतर्रियालय, ओडिशा सनातन - 1991 - ५० ४० ३० राजीवियालय, एरियापुर निष्ठवीयालय सनातनकोटर - 1993 - गगेल प्रियदासालय, बोकर गया।					



(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं उपर उल्लिखित अभिराक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;
- (ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24-03-2014 को सत्यापित किया गया।

Identify the deponent.

Lata Sinha

who has put his/her

signature/L.I. in my presence

✓ लता सिंह
अभिराक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामकरण प्राप्ति करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए। (Advocate Kumar Raj Manoaranjan Singh)
C. No - 1140/1993

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर